बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना–800 010

अधिसूचना संख्या– 02 पटना, दिनांकः– 12-03-24

अधिसूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं संबंधित हितधारकों के साथ आयोजित बैठक के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–890 (ई.), दिनांक–29.06.2020 द्वारा राज्य में पेट–कोक एवं फर्नेश ऑयल के उपयोग हेतु संकल्पित "राज्य की ईंधन नीति" के अनुसार किसी भी बॉयलर अथवा फर्नेश अथवा किसी भी प्रकार के मौजूदा परिचालित उद्योगों (Existing Operational Industies) के उष्मन तंत्र (Heating System) में फर्नेश ऑयल का उपयोग अधिसूचित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करते हुए स्वच्छ ईंधन के रूप में LNG/PNG की आपूर्त्ति नेटवर्क विकसित होने तक किया जा सकेगा। इसके साथ–साथ राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया जैसे वायु गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं करने वाले शहरों (Non-attainment Cities) तथा हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र जैसे अतिप्रदूषित क्षेत्र में नए/अथवा प्रस्तावित उद्योगों द्वारा फर्नेश ऑयल का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जायेगा।

राज्य में CNG/LNG/PNG की आपूर्त्ति हेतु तेल कम्पनियों यथा सर्वश्री गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सर्वश्री थिंक गैस एवं सर्वश्री इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नेटवर्क स्थापित की जा रही है। सर्वश्री गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पटना, सर्वश्री थिंक गैस द्वारा बेगूसराय एवं सर्वश्री इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के कुल 24 जिलों में CNG/LNG/PNG की आपूर्त्ति हेतु प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, लखीसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं हाजीपुर से संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में आपूर्त्ति व्यवस्था विकसित की जा चुकी है। अन्य जिलों के लिए भी आपूर्त्ति नेटवर्क व्यवस्था विकसित की जा रही है।

राज्य के विभिन्न शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता की स्थिति एवं इसमें सुधार लाने हेतु औद्योगिक इकाईयों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग आवश्यक है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(d) के अन्तर्गत स्वीकृत ईंधन (Approved Fuel) का तात्पर्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अनुमोदित कोई भी ईंधन से है। इसके आलोक में पर्षद् अधिसूचना संख्या–5, दिनांक–14.02.2022 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों जहाँ तेल कम्पनी द्वारा CNG/LNG/PNG की आपूर्त्ति हेतु नेटवर्क विकसित किया जा चुका है, में संचालित/स्थापित औद्योगिक इकाई में फर्नेश ऑयल एवं कोयला का उपयोग प्रतिबंधित करते हुए सिर्फ CNG/LNG/PNG जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। औद्योगिक इकाईयों द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 06 महीने के अंदर अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था।

इस क्रम में पर्षद् मंडल की दिनांक–15.02.2024 को 117वीं (विशेष) बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् एतद् द्वारा वैसे औद्योगिक क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों जहाँ पर तेल कम्पनी द्वारा CNG/LNG/PNG की आपूर्त्ति हेतु नेटवर्क

विकसित किया जा चुका है, से संबंधित औद्योगिक इकाईयाँ के बॉयलर अथवा फर्नेश अथवा उष्मन तंत्र (Heating System) में फर्नेश ऑयल, कोयला, लकड़ी (भूसी को छोड़कर) एवं किसी भी रूप में लकड़ी का उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रतिबंधित करते हुए सिर्फ CNG/LNG/PNG स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ह0/–
(एस.चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस.चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः– 629 पटना, दिनांकः– 12-03-24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना/अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/सदस्य–सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली/पर्षद् विश्लेषक/वैज्ञानिक सलाहकार/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/24
(एस.चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।